

पत्र संख्या-कारा/भवन-05/2017...1066
बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०),
गृह विभाग (कारा)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-०३/०३/२०१७

विषय:- राज्य योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मंडल कारा, सिवान से स्थानांतरित होकर केन्द्रीय कारा, तिहाड़ जेल में संसीमित बंदी मो० शहाबुद्दीन के विरुद्ध चल रहे वादों का विचारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराए जाने हेतु हार्डवेयर यथा कम्प्यूटर, कैमरा, एल०ई०डी० स्क्रीन एवं यू०पी०एस० के क्रय हेतु ₹2,70,000 (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मंडल कारा, सिवान से स्थानांतरित होकर केन्द्रीय कारा, तिहाड़ जेल में संसीमित बंदी मो० शहाबुद्दीन के विरुद्ध चल रहे वादों का विचारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराए जाने हेतु हार्डवेयर यथा कम्प्यूटर, कैमरा, एल०ई०डी० स्क्रीन एवं यू०पी०एस० के क्रय हेतु ₹2,70,000 (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की लागत पर, वित्त विभाग के संकल्प पत्र संख्या-96वि०(2) दिनांक-03.01.2008 की कंडिका 4(क) के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

2. उपरोक्त स्वीकृति राज्य योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, मांग संख्या-22, उपशीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P4070000520101 के अंतर्गत विषय शीर्ष-52 01-मशीनें एवं उपस्कर मद के अधीन दी गई है।


3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, सिवान होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, सिवान से वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार की जाएगी।

4. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा संचिका संख्या-कारा/भवन-05/2017 के पृ०-6/टि० पर दिनांक-04.03.2017 को अनुमोदन दिया गया है।

5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-कारा/भवन-20/2006 के पृ0-8/ टि0 पर दिनांक-08.03.2017 को प्राप्त है।

6. योजना को ससमय कार्यान्वित कराने का दायित्व जिला पदाधिकारी, सिवान का होगा, जो योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराकर प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार को प्रतिवेदित करेंगे।

विश्वासभाजन


 8-3-17

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)

पटना, दिनांक-08/03/2017

ज्ञापांक:- कारा/भवन-05/2017.....1066

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,/जिला पदाधिकारी, सिवान/अधीक्षक, मंडल कारा, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 8-3-17

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक:- कारा/भवन-05/2017.....1066

पटना, दिनांक-08/03/2017

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 8-3-17

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)